कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय

पत्रांक 1207/जि0ग्रा0अ0, दिनांक 27.7.15

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बेगूसराय।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
बेगूसराय।

विषय :– अल्पकालीन निविदा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय अंतर्गत अनुपयुक्त/रद्दी सामग्रियों का अल्पकालीन निविदा प्रकाशित किया जाना है। इसी आलोक में निदेश है कि अल्पकालीन निविदा से संबंधित शर्त जिला के बेवासाईट पर ससमय अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बेगूसराय।

D:\2015\TAMOLI SIR\Letter.docx

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय

अल्पकालीन निविदा

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय के कार्यालय में उपलब्ध निम्नलिखित वर्णित सामग्रियों में से वांछित सामग्रियों का श्रेडिंग/कटिंग एवं अन्य वर्णित सामग्रियों का विक्रय किया जाना है। सामग्री की निविदा से संबंधित शर्तें निम्न प्रकार है:–

निविदा की शर्तें:–

1. निविदा में दिया गया दर 31.03.2016 तक प्रभावी/अपरिवर्त्तनीय रहेगा और किसी भी कारण से दर में परिवर्त्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा दो सीलबंद लिफाफे में देना होगा। इन दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफा में रखकर उसे भी सीलबंद करते हुए स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों हाथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय में जमा करना होगा। बड़े सीलबंद लिफाफे में निविदादाता द्वारा दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे रखें जायेगें। उनमें (1) टैक्निकल बीड (2) फॉइनेनसीयल बीड होंगे।
   - (1) "Technical Bid" के सीलबंद लिफाफे में निविदादाता के फर्म/सॉप का नाम एवं पंजीकरण के साथ सेल्स पैन के कागजात अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे तथा लिफाफे के उपर "Technical Bid" अंकित किया जायेगा।
   - (2) "Financial Bid" के दूसरे सीलबंद लिफाफे में रद्दी कागजातों को श्रेडिंग/कटिंग कर प्रति क्विंटल का दर तथा अप्रयुक्त सामग्री प्रति पीस की दर अंकित किया जायेगा तथा लिफाफे पर "Financial Bid" अंकित किया जायेगा।
3. (1) उक्त "Technical Bid" और "Financial Bid" के दानों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े सीलबंद लिफाफे में रखा जायेगा तथा उस पर फर्म/सॉप का नाम अंकित कर दिया जायेगा।
   - (2) निविदादाता वाले सीलबंद लिफाफे में निविदा देते वक्त जमानत राशि के रूप में रू0–20000/–(बीस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट, जो उप विकास आयुक्त, बेगूसराय के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में ड्रॉफ्ट को लौटा दिया जायेगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता का ड्रॉफ्ट जमानत के रूप में कार्यालय में होगा।
   - (3) सफल निविदादाता का जमानत के रूप में जमा राशि उनके द्वारा निविदा में प्राप्त पुराने कागजातों के फैक्ट्री से लुकदीकरण का सर्टिफिकेट जमा करने के उपरांत ही वापस की जायेगी।
   - (4) जिन निविदादाताओं के "Technical Bid" के लिफाफे में रखे कागजातों की जाँच के बाद उनके निविदा स्वीकृत होंगे, उन्हीं निविदादाताओं के "Financial Bid" का लिफाफा खोला जा सकेगा। अस्वीकृत निविदा के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. श्रेडिंग/कटिंग एवं तौल करने हेतु मशीन निविदादाता को ही लाना होगा। इसके लिए उन्हें कोई किराया देय नहीं होगा।
5. सभी कागजातों को श्रेडिंग/कटिंग करवाने एवं तौलवाने का कार्य निविदादाता को उप विकास आयुक्त, बेगूसराय द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष ही कराना होगा।
6. निविदादाताओं को आदेश प्राप्ति के 05 दिनों के अंदर श्रेडिंग/कटिंग कर एवं पूर्ण भुगतान कर कार्यालय से कागजातों एवं सामग्री का उठाव कर लेना होगा।
7. निविदा प्राप्त की अंतिम तिथि 10/8/15 को अपराहन 3.00 बजे तक होगी। दिनांक 10/8/15 को अपराहन 3.00 बजे निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उस समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित होगी।
8. बिना कारण बताये उप विकास आयुक्त, बेगूसराय को एक या सभी निविदादाताओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह०/– 7/15

उप विकास आयुक्त,
बेगूसराय।